प्रेस नोट
दिनांक 05.02.2025

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र स्व0 हरिवंश सिंह नि0 ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.02.2025 को थाना वजीरगंज के व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि जमलापुर तुर्काडीहा मार्ग के पास संदिग्ध व्यक्ति को रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ गोलू सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अभिषेक सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र स्व0 हरिवंश सिंह नि0 ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–28/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
02. हे0का0 मुन्ना यादव।
03. हे0का0 राजकरन यादव।
04. का0 रजत सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.02.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–43/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तगण–01. संजय कुमार कोरी पुत्र अभय नारायण नि0 हरदयालपुरवा मौजा खोरहंसा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा, 02. विशाल पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय नि0 शीतल पुरवा मौजा खोरहंसा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को रामनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 8,000/– रू0, एटीएम, पैन कार्ड व चेक बुक व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल, 02 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.02.2025 को वादी विवेक कुमार गुप्ता द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी कपड़े की दुकान से एक बैग चोरी कर लिया गया है। जिसमें मेरे 8,000 रू0, चेकबुक, पैनकार्ड व एटीएम है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 05.02.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की मदद से प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तों–01.संजय कुमार कोरी, 02. विशाल पाण्डेय को रामनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 8,000/– रू0, एटीएम, पैन कार्ड, चेक बुक व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. संजय कुमार कोरी पुत्र अभय नारायण नि0 हरदयालपुरवा मौजा खोरहंसा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

02. विशाल पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय नि0 शीतल पुरवा मौजा खोरहंसा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 8,000/– रू0
02. 01 अदद एटीएम कार्ड।
03. 01 अदद पैन कार्ड।
04. 01 चेक बुक।
05. 02 अदद मोबाइल फोन।
06. परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–43/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 पवन कुमार गिरि।
02. उ0नि0 सन्तशरण यादव।
03. हे0का0 रविप्रकाश यादव।
04. हे0का0 अभिमन्यु गुप्ता।
05. का0 रामदास राठौर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.02.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त धनंजय उर्फ लवकुश वर्मा पुत्र धर्मेन्द्र कुमार वर्मा नि0 बैराडीहा थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिलुवा क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 05.02.2025 को थाना को0 मनकापुर के उ0नि0 पिंटू कुमार यादव मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना पर गिलुवा रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त धनजंय उर्फ लवकुश वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. धनंजय उर्फ लवकुश वर्मा पुत्र धर्मेन्द्र कुमार वर्मा नि0 बैराडीहा थाना छपिया जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–58/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव।
02. हे0का0 राममिलन यादव।
03. हे0का0 सुरेश गुप्ता।
04. का0 रवि सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.02.2025

थाना नगर पुलिस द्वारा आपराधिक धमकी देते हुए जबरन वसूली करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–85/25, धारा 308(5),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. वैभव मिश्रा पुत्र एस0पी0 मिश्रा, 02. गौरव मिश्रा पुत्र एस0पी0 मिश्रा निवासीगण राजा मोहल्ला थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 05.02.2025 को ओरियण्टल इश्योरेंस कम्पनी के शाखा प्रबन्धक आशीष कुमार द्विवेदी द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी वैभव मिश्रा, गौरव मिश्रा द्वारा आपराधिक धमकी देते हुए उनसे 15,000 रू0 की जबरन वसूली की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनो आरोपी अभियुक्तों– 01. वैभव मिश्रा, 02. गौरव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. वैभव मिश्रा पुत्र एस0पी0 मिश्रा नि0 राजा मोहल्ला थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. गौरव मिश्रा पुत्र एस0पी0 मिश्रा नि0 राजा मोहल्ला थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–85/25, धारा 308(5),352,351(3) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 डिग्री प्रसाद गौतम।
02. का0 पंकज यादव।
03. का0 दिवस हलदार।

मीडिया सेल, गोण्डा।